



## शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश (UP-TET) -2019

## कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज, प्रयागराज OFFICE OF THE SECRETARY EXAMINATION REGULATORY AUTHORITY U.P. ALLENGANJ, PRAYAGRAJ







162116008837 10/03/1995 OTHER BACKWARD CLASS/ N.A. 1926031808

NAME OF CANDIDATE: अभ्यर्थी का नाम:

RICHA YADAV

रजिस्ट्रेशन नंबर

**REGISTRATION NUMBER** 

FATHER'S NAME: पिता का नाम: RAJENDRA SINGH YADAV

NAME OF EXAMINATION CENTER & DISTRICT: परीक्षा केंद्र और जिले का नाम: LALLOO PRASAD I C MALL ROAD KANPUR NAGAR

DATE & TIMING OF WRITTEN EXAM: लिखित परीक्षा का दिनांक और समय: 22/12/2019 02:30 P.M. TO 05:00 P.M.

CANDIDATE'S SIGNATURE: अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:

INVIGILATOR'S SIGNATURE: कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर

NOTE: Please read carefully instructions given below: नोट- नीचे दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ लें।

UPTET 2019 के लिए अंकित उक्त परीक्षा केन्द्र, दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लें। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति अथवा सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान के रजिस्ट्रार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। उक्त के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

## निर्देश -

- प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अंक पत्र तथा काले बॉल प्वाइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य-सामग्री, पत्रादि, कैलकुलेटर, डॉक्पेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कुलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रानिक घड़ियाँ, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
- अन्चित साधन अपनाने या अपनाने का प्रयास करने पर आपको परीक्षा से वंचित करते हुए आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त कक्ष निरीक्षक को ओ0एम0आर0 (OMR) शीट एवं एक कार्बन प्रति जमा करने के बाद कक्ष निरीक्षक की अनुमित से ही 3. परीक्षा कक्ष एवं परीक्षा केन्द्र से बाहर जाने की अन्मति होगी।
- प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा के समस्त प्रश्न बहविकल्पीय होंगे।
- बहविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हेतु ओ0एम0आर0 शीट पर निर्धारित कॉलम में दिये गये गोले को काल जाल प्वाइन्ट पेन से काला करें। अन्य किसी रंग की स्याही के पेन तथा पेन्सिल का प्रयोग कदापि न करें।
- आपके ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की जॉच इलेक्ट्रानिक स्कैनिंग संसाधन से की जाएगी अतः ओ0एम0आर0 (OMR) शीट में ओवरराइटिंग/कटिंग करने पर/एक से अधिक घेरे को काला करने पर/किसी घेरे को पुरा काला न करने पर/ घेरे पर कोई अन्य निशान बनाने पर/ सफेदा लगाने/घेरे को खुरचने इत्यादि पर ओ0एम0आर0 (OMR) शीट का मूल्यांकन नहीं होगा।
- ओ0एम0आर0 (OMR) शीट में निर्धारित स्थान पर हल किये गये प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंको में अवश्य उल्लिखित की जाये।
- ओ0एम0आर0 (OMR) शीट को मोड़े नहीं और न ही उस पर कोई रफ कार्य करें।
- टेस्ट बुकलेट प्राप्त होने के बाद तत्काल उसके सभी पेजों की जांच कर लें। यदि कोई पेज कम/अपूर्ण है तो उसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को दें। यदि बुकलेट में कोई पेज कम पाया जाता है तो आपको उत्तरदायी मानते ह्ए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओ०एम0आर0 (OMR) शीट में निर्धारित स्थान पर अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नं0, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, भाषा विकल्प व पार्ट- IV को लिखें 10. और सम्बन्धित घेरे/गोले को काला करें, अन्यथा ओ0एम0आर (OMR) उत्तर पत्रक का मुल्यांकन नहीं होगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने में सर्वथा असमर्थ हों, अपने साथ श्रुतलेखक ला सकते हैं। श्रुत लेखक की 11. शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात् श्रुत लेखक वर्ष 2020 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा वर्ष 2019 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उतीर्ण करने वाला अभ्यर्थी होना चाहिए।
- परीक्षा केन्द्र पर, श्रृत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए परीक्षार्थी श्रृत लेखक को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है, 12. इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्रव्यवस्थापक को प्रस्तृत कर श्रृत लेखक को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) होने/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ होने सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी दवारा निर्गत प्रमाणपत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, श्रुत लेखक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र, एवं श्रुत लेखक का फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा में श्रुत लेखक साथ लाने व परीक्षा अविधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किये जाने का लाभ केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण 13 रूप से दृष्टिबाधित (Blind)/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हों।

अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र०, प्रयागराज

F9845D3AE1FE4D5DFC7DF5E5180249F7251C07D9